



ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का 15 राज्यों में प्रदर्शन आगरा में ज्ञानेश कुमार के घर कालिख पोती,राजस्थान में पूर्व सीएम गहलोत पर वाटर कैनन चली



दिल्ली



मध्य प्रदेश



राजस्थान

नई दिल्ली,28 सितम्बर 2026। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के 15 राज्यों मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,हरियाणा, छत्तीसगढ़,उत्तराखंड,गुजरात,दिल्ली और केरलम में प्रदर्शन किया।

इसके अलावा,झारखंड,हिमाचल प्रदेश,मणिपुर,तेलंगाना,कर्नाटक में भी प्रदर्शन हुए। यूपी के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोईसी ज्ञानेश कुमार के घर पर कालिख पोती और लिखा...

ज्ञानेश कुमार गद्दर,वोट चोर'। राजस्थान के जयपुर में विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। विरोध में पर्व सोपम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा भी शामिल थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमिटी 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। शहीद स्मारक पर सभा के बाद चुनाव आयोग के ऑफिस तक पैदल मार्च के लिए कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को

कांग्रेस का आरोप...एसआईआर में गड़बड़ी

कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट की एसआईआर में गड़बड़ी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में मनमानी कर रहे हैं और दो अन्य आयुक्तों की बात नहीं सुन रहे हैं।

चुनाव आयोग में मतदर का दावा

कांग्रेस पार्टी का ये आरोप इंडियन एक्सप्रेस में छपी उस खबर के बाद आया है,जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 महीनों में 14 बार दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई है।

राहुल ने लगाया वोट चोरी का आरोप...

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग,एसआईआर और वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों पर गुरुवार को 55 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने वोट चोरी की है। वे देशद्रोही हैं। मैंने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था,लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी।

रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने चुड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। आगरा

में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के घर पर कालिख पोती और लिखा... 'ज्ञानेश कुमार गद्दर, वोट चोर'। लखनऊ में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो वे भिड़ गए। हरियाणा कांग्रेस आज 'वोट चोरी' के आरोप और चीफ इलेक्शन

कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। सभी जिलों में डीसी ऑफिस के सामने होने वाले प्रदर्शन के लिए पार्टी ने अलग-अलग नेताओं की इयूटी लगाई है।

उत्तराखंड के 8 जिलों में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। देहरादून, नैनीताल,हल्द्वानी,टिहरी,बागेश्वर,रुड़की,रुद्रपुर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात भर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

राजकोट,वडोदरा,सूरत और जूनागढ़ जैसे प्रमुख शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहने,नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। राजकोट में,शहर की कांग्रेस ने एक युवक को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनाकर रस्सी से बांध दिया और कलेक्टर कार्यालय ले गई।



गुजरात

मध्य प्रदेश : प्रतीकात्मक रूप से ज्ञानेश कुमार को वेड़ियां पहनाई,पेराव के लिए निकले कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़े...

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए।

क्लास 6 से 3-लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

इस साल तीसरी भाषा में स्टूडेंट्स फेल नहीं किए जाएंगे...

तमिलनाडु को छोड़कर 27 राज्यों में पॉलिसी लागू

नई दिल्ली,28 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को 3-लैंग्वेज पॉलिसी से छूट दी जाए। कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए। यानी अगले साल क्लास 6 में जा रहे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स छठी क्लास में हैं,उन्हें तीसरी भाषा में पास या फेल नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल अपीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ने छठी कक्षा को छूट देने से इनकार किया था। सातवीं,आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को पहले ही यह राहत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि छठी कक्षा के छात्रों को अचानक भाषा बदलने से परेशानी हो सकती है। चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सीबीएसई के तीन-भाषा फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर में सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में 3-लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। वहीं, 27 राज्यों के स्कूल बोर्ड्स में भी यह पॉलिसी लागू है। लेकिन तमिलनाडु राज्य स्कूल बोर्ड में साल 1968 से इस फॉर्मूले का विरोध है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस साल से छठी कक्षा के छात्रों को छूट देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस साल से छठी कक्षा को छूट देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें इसी साल से इसे पढ़ना चाहिए।' केंद्र ने बताया कि करीब 2,800 स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार, केवल 1.2% स्कूल प्रभावित हुए हैं। सरकार के मुताबिक करीब 99% स्कूलों ने तीसरी भाषा की नीति अपनाई है और उन्हें जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।



युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति' में अमेरिका सहित कई अन्य देशों के विमानों ने किया हवाई प्रदर्शन



जोधपुर,28 सितम्बर 2026। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति' में आज अमेरिका सहित कई अन्य देशों के ताकतवर विमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इन दिनों यहां युद्धाभ्यास का ऑपरेशनल फेज चल रहा है। एक दिन पहले ही एयर मार्शल पीवी शिवानंद ने औपचारिक रूप से अभ्यास का उद्घाटन कर दल के कमांडरों को आधिकारिक एक्ससराइज पैच बांटे थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आगामी 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सेना के साथ दुनिया के 7 मित्र देश आसमान में अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार अभ्यास की मुख्य धमियां पावर इन पार्टनरशिप रखी गई है,जिसका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच आपसी समन्वय और सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इन देशों की भागीदारी से एक्ससराइज का दायरा काफी बड़ा हो गया है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और हवा में फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट की क्षमताएं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। अलग-अलग एयर फोर्स अपने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया,अमेरिका,संयुक्त अरब अमीरात,फ्रांस,जर्मनी,श्रीलंका और बांग्लादेश की वायु सेनाएं सीधे तौर पर भाग ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, 32 से ज्यादा देश इस सैन्य आयोजन में प्रेक्षक (ऑब्जर्वर) के रूप में शामिल हुए हैं। पहले एडिशन की सफलता के बाद 2026 में जोधपुर एयरबेस पर यह युद्धाभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़ने पर बवाल,दो बार हुआ पथराव

पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसूगैस छोड़कर संभाली स्थित,15 हिरासत में,सात लोगों के खिलाफ एकआईआर

उज्जैन,28 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ प्रोजेक्ट के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आई शाही मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने के विरोध में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। इसके जवाब में पुलिस कमियों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गई। इस विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है,लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि,नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है,जबकि सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। शाही मस्जिद को तोड़े जाने के विरोध में सोमवार सुबह टंकी चौराहे पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। कुछ लोग मस्जिद परिसर में जाने का प्रयास करने लगे,जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। मुस्लिम महिलाओं ने नाका नंबर-5 पर चक्का जाम कर दिया,जबकि कुछ लोगों ने



पुलिस पर पथराव किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल भी घायल हो गईं। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आईजी राकेश गुप्ता, कमिश्नर आशीष सिंह, डीआईजी नवनीत भासेन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है। मस्जिद के आसपास और आने-जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही नियंत्रित की जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। नमाज के

उज्जैन में गरिजद तोड़ने के खिलाफ याचिका दायरमपी हाईकोर्ट ने कल- सड़क चौड़ीकरण जारी रहेगा...

उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। इंदौर बेंच ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहेगा। इससे पहले इसी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं। विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही।

दौरान उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने की कार्रवाई रोक दी गई। इस दौरान एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा समेत कलेक्टर रौशन सिंह ने फुटपाथ पर बैठकर ही भोजन किया।

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में चार दोषी,सजा पर फैसला 8 अक्टूबर को

- प्रधान आरक्षक की पत्नी-पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी दोषी
- फैसले के इंतजार में न्यायालय परिसर में उमड़ी भीड़,नीडिया से लेकर आम लोगों तक की टिकी रही नजरे...दूसरे मामले में कुलदीप को 10 साल की सजा

सूरजपुर,28 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

करीब दो साल से सूरजपुर ही नहीं,बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चित रहे प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और पुत्री के नृशंस हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया,अपराध क्रमांक 575/2024 में न्यायालय ने कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोषी करार दिया है,हालांकि दोषसिद्धि के बाद भी तत्काल सजा नहीं सुनाई गई, न्यायालय ने सजा के बिंदु पर फैसला 8 अक्टूबर 2026 तक सुरक्षित रखा है, इसलिए 28 सितंबर का फैसला इस मामले का महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन अंतिम सजा का आदेश अभी बाकी है, अब 8 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए चारों आरोपियों के संबंध में क्या दंड निर्धारित किया जाता है, इस पर सभी की नजरे टिकी हैं।

फैसले की खबर मिलते ही न्यायालय में जूटी भीड़

सोमवार को जैसे ही दोहरे हत्याकांड में फैसला आने की जानकारी सामने आई, सूरजपुर न्यायालय परिसर में लोगों की



भीड़ बढ़ने लगी,मीडिया कमियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी न्यायालय परिसर में मौजूद रहे,हर किसी को इंतजार था कि करीब दो साल से चल रहे इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला क्या आता है,न्यायालय परिसर में काफी भीड़भाड़ का माहौल रहा,पुलिस की मौजूदगी के बीच लोग लगातार मामले को लेकर चर्चा करते रहे। जैसे ही चार आरोपियों को दोषी करार दिए जाने की जानकारी सामने आई, न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों के बीच फैसले की चर्चा तेज हो गई। हालांकि सजा का फैसला 8 अक्टूबर तक सुरक्षित रखे जाने से मामले

को लेकर अगली तारीख का इंतजार भी शुरू हो गया। 13 अक्टूबर 2024 की वह घटना जिसने सूरजपुर को हिला दिया था-13 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर में हुई घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था,सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और पुत्री की हत्या कर दी गई थी,दोनों के शव घर से करीब पांच किलोमीटर दूर खेत में मिले थे,घटना से पहले पुलिसकर्मियों के साथ हुए विवाद और हमले के बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी,इसी घटनाक्रम के बीच प्रधान आरक्षक के घर

अपराध क्रमांक 574/2024 में कुलदीप को 10 साल की सजा

सोमवार को इसी घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य मामले में भी फैसला आया, अपराध क्रमांक 574/2024 में पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलकर जान से मारने के प्रयास के मामले में न्यायालय ने कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है,वहीं अपराध क्रमांक 218/2024 में पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने के आरोप से संबंधित मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया,इस तरह सोमवार को तीन मामलों में अलग-अलग न्यायिक परिणाम सामने आए-एक में दस साल का कारावास,एक में दोषमुक्ति और सबसे चर्चित दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों की दोषसिद्धि।

को निशाना बनाए जाने का आरोप सामने आया,घर में खून के निशान मिलने के बाद पत्नी और पुत्री की तलाश शुरू हुई और बाद में दोनों के शव बरामद हुए, घटना के बाद पुलिस ने कई अलग-अलग अपराध दर्ज किए और आरोपियों की गिरफ्तारी की,मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए कुलदीप साहू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर तलाश की थी।

अब 8 अक्टूबर पर टिकी निगाहें-करीब दो वर्ष से इस मामले के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे लोगों के लिए 28 सितंबर का फैसला महत्वपूर्ण है,लेकिन मामला अभी पूरी

तरह समाप्त नहीं हुआ है,अपराध क्रमांक 575/2024 में दोषसिद्धि हो चुकी है, जबकि सजा का निर्धारण बाकी है, अब 8 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली न्यायालयीन कार्यवाही इस मामले को आगे बढ़ाएगी,इसी दिन यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि प्रधान आरक्षक की पत्नी और पुत्री की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को न्यायालय क्या सजा सुनाता है, दो साल के इंतजार के बाद दोषसिद्धि हुई, अब अंतिम निगाह सजा के आदेश पर है। समाचार विस्तार से पेज न. 4 पर....

SIR और Form-6 पर कांग्रेस का हमला, राष्ट्रपति से CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग... जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण ने राष्ट्रपति को भेजा जापन, कहा... चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की हो समीक्षा



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और नए मतदाताओं के पंजीयन से जुड़े ब्रह्मद्व-6 को लेकर चल रहा विवाद अब सरगुजा तक पहुंच गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जापन भेजा है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई, उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठित करने और विवादित निर्णयों की समीक्षा की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण ने जापन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय की व्यवस्था प्रभावित हुई है। कांग्रेस का दावा है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले

अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद आगे बढ़ाए गए। पार्टी ने एसआईआर और Form-6 से जुड़े निर्णयों को इसका उदाहरण बताते हुए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है।

Form-6 में बदलाव या एसआईआर का अलग प्रावधान, यहीं से उठा विवाद : कांग्रेस के आरोपों के केंद्र में Form-6 है। पार्टी का कहना है कि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारी और घोषणा की व्यवस्था से युवाओं के लिए पंजीयन प्रक्रिया कठिन हुई है। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि Form-6 में मूल रूप से बदलाव नहीं किया गया, बल्कि एसआईआर के तहत अलग घोषणा संबंधी प्रावधान लागू किया गया है। यही अंतर अब राजनीतिक विवाद का प्रमुख आधार बना हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की ओर से कुछ निर्णयों और



प्रक्रियाओं पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने इन्हें आपत्तियों का हवाला देते हुए कहा है कि जब संवैधानिक संस्था के भीतर ही निर्णय प्रक्रिया को लेकर

मतभेद सामने आ रहे हैं, तब पूरे मामले की स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है।
कांग्रेस ने एसआईआर के आंकड़ों पर भी उठाए सवाल : जापन में कांग्रेस ने

एसआईआर के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम हटाना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सीधे उसके मतदान के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा विषय है।

इसलिए नाम हटाने की प्रक्रिया, उसके आधार और प्रभावित मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए दावे-आपत्ति के अवसर की पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। जापन में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष अलग है और आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को निर्धारित

कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित किए जाने की बात कह चुका है।

राष्ट्रपति से तीन प्रमुख मांगें : जिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ उनके कार्यकाल में लिए गए विवादित निर्णयों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की है। इसके अलावा एसआईआर और ब्रह्मद्व-6 से संबंधित निर्णयों तथा उनके आधार पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों का समाधान राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति को भेजे गए इस जापन पर केंद्र और निर्वाचन तंत्र की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

दिल्ली के महिला किसान सम्मेलन में गूंजेगी सरगुजा की आवाज, 115 कार्यकर्ता लेंगी हिस्सा



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

देश की राजधानी नई दिल्ली में 30 सितंबर को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन में सरगुजा संभाग की भी मजबूत भागीदारी रहेगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में सरगुजा संभाग से 115 महिला किसान कार्यकर्ता शामिल होंगी। संभाग के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं का दल सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है। सरगुजा जिले से 70 महिला कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष स्वमणी सिंह के नेतृत्व में सम्मेलन में शामिल होंगी। इसी तरह जशपुर जिले से 30 कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नरेश कुमार यादव के नेतृत्व में तथा बलरामपुर जिले से 15 कार्यकर्ता युवा प्रमुख

इतराज सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचेंगी। सम्मेलन में सरगुजा संभाग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान संघ के प्रदेश युवा प्रमुख किशोर सिंह बघेल करेंगे। सम्मेलन में देशभर से पहुंचने वाली महिला किसान कार्यकर्ताओं के बीच कृषि, किसानों की समस्याओं, महिला किसानों की भूमिका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सरगुजा संभाग से इतनी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी को संगठन की जमीनी सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। सम्मेलन के माध्यम से संभाग की महिला किसान कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने और देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचने वाली कार्यकर्ताओं के साथ अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा।

जमशेदपुर में रेस्टोरेंट में फायरिंग कर भागे चार आरोपी अम्बिकापुर में पकड़े

मणिपुर थाने के सामने नाकेबंदी में अर्टिगा रोककर पुलिस ने दबोचा, झारखंड पुलिस को सौंपा...वाहन जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जमशेदपुर में रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग कर चार लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद फरार हुए चार आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने अम्बिकापुर में दबोच लिया। आरोपी अर्टिगा वाहन से बिलासपुर की ओर से अम्बिकापुर आ रहे थे। सूचना मिलने के बाद सरगुजा पुलिस ने बिलासपुर-अम्बिकापुर मार्ग पर नाकेबंदी कर वाहन की तलाश शुरू की। मणिपुर थाना पुलिस ने संदिग्ध अर्टिगा को रोककर उसमें सवार चार लोगों को हिरासत में लिया। वाहन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 26 सितंबर को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव स्थित उद्विपी रेस्टोरेंट में अपराधियों ने फायरिंग की थी। अचानक हुई गोलीबारी में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में सोनारी थाने में अपराध क्रमांक 80/26 के तहत बीएनएस की धाराओं 109, 111(2)(बी), 3(5), 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के



तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद आरोपियों की तलाश के दौरान 27 सितंबर की रात सीतापुर पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध अर्टिगा वाहन क्रमांक JH 05 EA 7928 से बिलासपुर की ओर से अम्बिकापुर की तरफ आ रहे हैं। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने तत्काल जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को

अलर्ट किया और विशेष रूप से बिलासपुर-अम्बिकापुर मार्ग पर कड़ी नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही मणिपुर थाना पुलिस ने थाने के सामने नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की।

इसी दौरान बताए गए नंबर का अर्टिगा वाहन वहां पहुंचा। पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें चार संदिग्ध व्यक्ति मिले। पूछताछ और पहचान के बाद

उनकी सूचना झारखंड पुलिस के साथ साझा की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान रमेश कुमार शर्मा उर्फ टीटू (50), निवासी राउरकेला, सुंदरगढ़, ओडिशा; मनोज उर्फ भद्रू सरकार (53), निवासी परसुडीह, जमशेदपुर; दीपू ओझा (35), निवासी बिरसानगर, जमशेदपुर; और शंकर मुंडा (42), निवासी सीतारामडेरा, जमशेदपुर के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जमशेदपुर की फायरिंग की घटना में उनकी सलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद झारखंड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की। चारों को न्यायालय में पेश कर ट्रिजिट रिमांड प्राप्त किया गया है। अब जमशेदपुर पुलिस आरोपियों से फायरिंग की घटना, वादात के कारण और इसमें शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ करेगी। कार्रवाई में मणिपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक सीपी तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, प्रधान आरक्षक छात्रपाल सिंह, रजनीकांत मिश्रा, नरेश जगड़े, आरक्षक निरंजन बड़वा, नरेश सिंह, अनिल सिंह, रामशंकर यादव एवं सैनिक ओमप्रकाश दुबे की भूमिका रही।

मैनपाट के गांव में घुसा भालू, महिला समेत तीन पर हमला



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

मैनपाट के गांव समनिया में सोमवार सुबह जंगल से भटककर पहुंचे भालू ने महिला समेत तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया। तीनों घर के पास ठंड से बचने के लिए धूप में खड़े थे। अचानक भालू ने एक-एक कर तीनों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने और लाठी-डंडे लेकर पहुंचने पर भालू जंगल की ओर भाग गया। घटना में फुलेश्वरी मझवार (65), सियाराम कुजूर (70) और नेहरू मझवार (70) घायल हुए हैं। तीनों को तत्काल उपचार के लिए कमलेश्वरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फुलेश्वरी के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं,



सियाराम कुजूर और नेहरू मझवार का उपचार कमलेश्वरपुर अस्पताल में जारी है।

शोर मचाया तो ग्रामीणों ने खदेड़ा : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह तीनों ग्रामीण घर के समीप धूप में खड़े थे। इसी दौरान जंगल से भटककर एक भालू गांव में पहुंच गया। उसने अचानक तीनों पर हमला कर दिया। भालू से बचने के लिए तीनों ने संघर्ष करते हुए शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख भालू तीनों को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

छत्तीसगढ़ किसान सभा का जिला सम्मेलन संपन्न...21 सदस्यीय जिला समिति गठित दिलसाय नाग अध्यक्ष और सोनू शांडिल्य सचिव चुने गए...कर्जमाफी, एमएसपी कानून समेत कई प्रस्ताव पारित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ किसान सभा सरगुजा का जिला सम्मेलन 27 सितंबर को लुंड्रा तहसील के ग्राम ढूंनु में संपन्न हुआ। संगठन के राज्य उपाध्यक्ष ऋषि कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित सम्मेलन में जिलेभर से पहुंचे प्रतिनिधियों ने संगठन की आगामी गतिविधियों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में नई 21 सदस्यीय जिला समिति का गठन करते हुए दिलसाय नाग को पुनः अध्यक्ष और सोनू शांडिल्य को सचिव चुना गया। सम्मेलन की शुरुआत अध्यक्ष दिलसाय नाग द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद पूर्व



सम्मेलन से लेकर वर्तमान सम्मेलन तक संगठन की गतिविधियों और कार्यों की रिपोर्ट सचिव सीपी शुक्ला ने प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की और

आवश्यक संशोधनों के बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद 21 सदस्यीय नई जिला समिति का गठन किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद समिति

ने संगठन की गतिविधियों को सरगुजा के गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों से जुड़े स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया।

किसानों के मुद्दों पर कई प्रस्ताव पारित : सम्मेलन में किसानों के कर्ज माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने, आगामी धान खरीदी व्यवस्था की सुगम बनाने समेत विभिन्न किसान हितैषी मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन में चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद का भी मुद्दा उठा। संगठन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया। धान खरीदी को लेकर संगठन ने कहा कि

आगामी महीनों में होने वाली खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था को पहले से दुरुस्त किया जाना चाहिए।

वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी देने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया। महिला सभा की नेत्री भगवती शुक्ला ने सम्मेलन के समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि रामलाल हांसदा ने समापन की घोषणा की।

सम्मेलन में गठित नई जिला समिति के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और किसानों से जुड़े सवालों को गांवों से जिला स्तर तक उठाने की चुनौती भी रहेगी।

आंगनवाड़ी के नाम पर साइबर फ्रॉड, महिला के खाते से 37,650 रुपये उड़ाया

-संवाददाता-
कुसमी, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिला के कुसमी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10, नगर पंचायत कुसमी निवासी निक्की गुप्ता पति विशेक गुप्ता के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने 14 मई को आंगनवाड़ी के नाम पर कॉल करके 37,650 रुपये निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक, निक्की गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुसमी की ग्राहक है। उन्होंने बताया



कि 7 माह पहले उनका बेबी बॉय हुआ था। अज्ञात कॉलर ने बलरामपुर जिला हेडक्वार्टर से बोलने का दावा किया और उनके नाम, आधार,

बच्चे का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम तक बता दिया। करीब 18 मिनट बात हुई और पैसे आने की बात कहकर डराया। फोन काटने के कुछ देर बाद खाते से तीन बार में 11550 रुपये, 23100 रुपये और 3000 रुपये कट गया। घटना के तुरंत बाद उन्होंने 1930 पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज कराई। पैसा रिफंड नहीं होने पर 27 सितम्बर को थाना कुसमी में लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंश्योरेंस के नाम पर 50 हजार की ठगी, अपराध दर्ज

-संवाददाता-
बलरामपुर, 28 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

एनसीआरपी पोस्टल पर आई शिकायत की जांच के बाद बलरामपुर थाने में 50 हजार की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। जांच प्रशिक्षु उप निरीक्षक अंकित वर्मा ने की। आवेदक विनोद कुमार यादव पिता राम प्रसाद यादव ने बताया कि 25 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात मोबाइल धारक ने खुद को एक्सिस बैंक साइबर इंश्योरेंस का कर्मचारी बताकर बीमा प्रीमियम जमा करने के नाम पर व्हाट्सएप पर लिंक भेजा, और लिंक के माध्यम से उसके एसबीआई खाते से 50 हजार रुपये छलपूर्वक ट्रांसफर करा लिया। पीड़ित ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की। जांच में पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता नंबर में जाना पाया गया।



दो साल बाद फैसले की दहलीज पर सूरजपुर का बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड,चार आरोपी दोषी करार...सजा पर 8 अक्टूबर को फैसला

प्रधान आरक्षक की पत्नी-पुत्री की नृशंस हत्या में कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह चंद्रकांत चौधरी और आर्यन उर्फ गोल्डी दोषी...न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर फैसला रखा सुरक्षित

प्रधान आरक्षक की पत्नी और पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डीदोषी

अपराध क्रमांक 575/2024 में करीब दो साल बाद आया बड़ा न्यायिक मोड़...अपराध क्रमांक 574/2024 में कुलदीप साहू को 10 वर्ष का कठोर कारावास, फायरिंग के अपराध क्रमांक 218/2024 में आरोपी दोषमुक्त

—संवाददाता—

सूरजपुर, 28 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

करीब दो वर्ष पहले पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर देने वाले सूरजपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय से बड़ा फैसला सामने आया, प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय ने कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोषी करार दिया है, हालांकि न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद तत्काल सजा नहीं सुनाई है, सजा के बिंदु पर फैसला 8 अक्टूबर 2026 तक के लिए सुरक्षित रखा गया है, यानी 28 सितंबर की सुनवाई में चारों आरोपियों के संबंध में दोष सिद्ध होने का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया,लेकिन उन्हें क्या सजा मिलेगी,इसकी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है, इसी मामले से जुड़े अन्य प्रकरणों में भी सोमवार को न्यायालयीन परिणाम सामने आए,अपराध क्रमांक 574/2024,जिसमें पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलकर जान से मारने के प्रयास का आरोप था,उसमें न्यायालय ने कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है,वहीं अपराध क्रमांक 218/2024, जिसमें पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने के प्रयास का आरोप था, उसमें पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया, इस तरह एक ही दिन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तीन मामलों में तीन अलग-अलग न्यायिक परिणाम सामने आए—एक में दस वर्ष की सजा,दूसरे में दोषमुक्ति और सबसे चर्चित दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों की दोषसिद्धि,लेकिन सजा पर फैसला अभी बाकी।

फैसले की खबर मिलते ही न्यायालय परिसर में उमड़ी भीड़, मीडिया से लेकर आम लोगों तक टिकी रही निगाहें—28 सितंबर को जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है,सूरजपुर न्यायालय परिसर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी,मीडिया कर्मियों से लेकर मामले में रुचि रखने वाले आम लोगों तक बड़ी संख्या में लोग न्यायालय परिसर में मौजूद रहे, हर किसी की नजर इस बात पर थी कि करीब दो साल से चल रहे इस मामले में अदालत का निर्णय क्या आता है,न्यायालय परिसर में पूरे दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक चहल-पहल और भीड़भाड़ का माहौल देखने को मिला, मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों में



फैसले को लेकर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी, कौन दोषी ठहराया जाएगा, आरोपियों के संबंध में अदालत क्या निर्णय देती है और क्या इसी दिन सजा भी सुनाई जाएगी—इन्हीं सवालों को लेकर लोग आपस में चर्चा करते नजर आए,मीडिया के लिए भी यह दिन बेहद महत्वपूर्ण था,अलग-अलग मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि न्यायालय परिसर में फैसले की जानकारी के इंतजार में मौजूद रहे,फैसले से जुड़ी हर जानकारी को तत्काल लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकार न्यायालय परिसर में डट रहे, वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में लोगों की आवाजाही और गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी रहीं,दो साल से लंबित इस बहुचर्चित मामले में 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर पहले से ही लोगों की नजर थी, जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी,वैसे-वैसे यह उत्सुकता भी बढ़ती गई कि अदालत का रुख क्या रहता है,अंततः जब यह स्पष्ट हुआ कि अपराध क्रमांक 575/2024 में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोषी करार दिया गया है,तो न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों के बीच इसी फैसले की चर्चा होने लगी,हालांकि अदालत ने इसी दिन सजा सुनाने के बजाय सजा के बिंदु पर फैसला 8 अक्टूबर 2026 तक सुरक्षित रख दिया,इससे लोगों की उत्सुकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई,बल्कि अब अगली तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई, न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों के बीच यही सवाल रहा कि दोषसिद्ध चारों आरोपियों को 8 अक्टूबर को क्या सजा सुनाई जाएगी।

दो साल से जिस फैसले का इंतजार था, उसमें आया बड़ा मोड़—13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर में हुई घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाए जाने की इस घटना के बाद कानून-व्यवस्था से लेकर अपराधियों के मनोबल तक कई सवाल खड़े हुए थे,घटना में सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई थी,प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम के अनुसार हत्या से पहले पुलिसकर्मियों से जुड़ी कुछ घटनाएं हुई थीं और इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई थी,प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी आरोपी की तलाश में लगी पुलिस टीम का हिस्सा बताए गए थे,इसके बाद उनका परिवार उस भयावह वारदात का शिकार हुआ,हत्या के बाद दोनों शव घर से लगभग पांच किलोमीटर दूर खेत में बरादर किए गए थे,घटना की भयावहता ने पूरे सूरजपुर में आक्रोश पैदा कर दिया था,अब करीब दो साल बाद इसी मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।

अपराध क्रमांक 575/2024—दोहरे हत्याकांड का सबसे बड़ा मामला— प्रधान आरक्षक के घर में पत्नी और पुत्री के नहीं मिलने तथा घर में खून के निशान पाए जाने के बाद प्रारंभिक तौर पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 575/2024 दर्ज किया गया था, पुलिस की विवेचना आगे बढ़ने पर मामले में हत्या सहित अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गईं,जांच के दलीलों पर सुनवाई चली,करीब दो साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद सोमवार को न्यायालय ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी माना, दोषी ठहराए गए आरोपियों में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी, आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी शामिल हैं, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोषी करार दिए जाने के बावजूद सजा अभी घोषित नहीं हुई है, न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर आदेश 8 अक्टूबर 2026 तक सुरक्षित रखा है।

दोषसिद्धि और सजा में अंतर, इसलिए 8 अक्टूबर महत्वपूर्ण— सोमवार की कार्रवाई के बाद इस मामले को लेकर एक बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है,न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी माना है, लेकिन इसका अगला चरण सजा का निर्धारण है, अर्थात 28 सितंबर 2026—दोषसिद्धि,8 अक्टूबर 2026—सजा पर फैसला आने की संभावना,इसलिए अभी यह कहना कि चारों आरोपियों को कितनी सजा हुई,सही नहीं होगा, सजा का अंतिम निर्धारण न्यायालय के 8 अक्टूबर के आदेश से स्पष्ट होगा,यही वजह है कि दो साल से इस मामले को देख रहे लोगों की नजर अब 8 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिक गई है।

अपराध क्रमांक 574/2024 में कुलदीप साहू को 10 साल का कठोर कारावास—सोमवार को दूसरा महत्वपूर्ण फैसला अपराध क्रमांक 574/2024 में आया, यह मामला पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलकर जान से मारने के प्रयास से संबंधित था,घटना के दौरान पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश में थी और आरोप लगाया गया था कि वाहन से पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया, इस मामले में न्यायालय ने कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस घटनाक्रम के बाद प्रधान आरक्षक के परिवार तक मामला पहुंचा, उसी पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ हुए आक्रोश पैदा कर दिया था,अब करीब दो साल बाद इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है।



अपराध क्रमांक 218/2024 में आरोप साबित नहीं हो सके—वहीं तीसरे मामले में परिणाम पूरी तरह अलग रहा,अपराध क्रमांक 218/2024,थाना जयनगर से संबंधित इस मामले में आरोप था कि कुलदीप साहू ने पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया,इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कर पाया,न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, यह फैसला इस पूरे घटनाक्रम के न्यायिक पक्ष की एक महत्वपूर्ण तस्वीर भी सामने रखता है, पुलिस विवेचना में दर्ज आरोप और न्यायालय में आरोप का प्रमाणित होना अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं हैं,जिस आरोप को अभियोजन पर्याप्त साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कर पाया,उसमें न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश दिया।

13 अक्टूबर 2024 की वह रात— जब सूरजपुर दहल उठा—13 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर में घटनाक्रम तेजी से बदला था,पुलिस को तत्कालीन जानकारी के अनुसार एक पुलिसकर्मी पर गर्म तेल फेंके जाने की घटना के बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई थी,पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई,इसी दौरान प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी पुलिस टीम की कार्रवाई से जुड़े थे, इसके बाद प्रधान आरक्षक के घर को निशाना बनाए जाने का आरोप सामने आया,जब तालिब शेख घर पहुंचे तो पत्नी और पुत्री घर में नहीं थीं,घर में खून के निशान मिले,इससे पुलिस और परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया,तलाश शुरू हुई और बाद में दोनों के शव शहर से लगभग पांच किलोमीटर दूर खेत में मिले,इस घटना ने सूरजपुर की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

घर के भीतर संघर्ष के निशान और एक पिता की टूटती दुनिया— इस मामले का सबसे भावनात्मक पक्ष प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पीड़ा रही, घटना के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार घर में संघर्ष के निशान थे, पत्नी और पुत्री ने खुद को बचाने का प्रयास किया था, परिवार के अनुसार बेटी को बचाने की कोशिश की गई,लेकिन हमलावरों ने दोनों को नहीं छोड़ा,एक पिता के लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है कि जिस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों की सुरक्षा करता था,उसी के घर में उसके लौटने से पहले उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई,यह घटना इसलिए भी अलग थी क्योंकि मृतक परिवार का मुखिया खुद पुलिस विभाग में था।



कुलदीप साहू की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था पूरा घटनाक्रम— घटना के बाद कुलदीप साहू फरार हो गया था, पुलिस ने उसकी तलाश में अलग-अलग टीमें लगाई, बाद में बलरामपुर क्षेत्र में उसे पकड़े जाने की जानकारी सामने आई,तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी झारखंड की ओर से बस से अम्बिकापुर की ओर आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ा,इसके बाद उसे सूरजपुर पुलिस को सौंप दिया गया,पुलिस ने मामले की विवेचना आगे बढ़ाई और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया,उस समय पुलिस की ओर से जारी जानकारी और समाचार रिपोर्टों में हत्या के अलावा पुलिसकर्मियों पर हमला,वाहन से कुचलने का प्रयास और पुलिस टीम पर फायरिंग सहित अलग-अलग अपराधों का उल्लेख सामने आया था।

पांच आरोपियों की गिरफ्तारी, फिर जांच आगे बढ़ी—पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई में कुलदीप साहू सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था,गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नामों में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह,चंद्रकांत चौधरी,आर्यन विश्वकर्मा तथा सूरज साहू के नाम सामने आए थे,हालांकि वर्तमान न्यायालयीन कार्यवाही में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार नाम हैं कुलदीप साहू,फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा, यही नाम अब 8 अक्टूबर को होने वाली सजा संबंधी कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे।

आरोपों से अदालत की दोषसिद्धि तक पहुंचा मामला,इस पूरे प्रकरण को यदि घटनाक्रम के रूप में देखा जाए तो तस्वीर कुछ इस प्रकार बनती है...

- **13 अक्टूबर 2024:** सूरजपुर में घटनाक्रम और दोहरे हत्याकांड की शुरुआत।
- **16 अक्टूबर 2024 के आसपास:** आरोपी कुलदीप साहू की गिरफ्तारी और अन्य आरोपियों की तलाश/गिरफ्तारी।
- **इसके बाद:** हत्या सहित अलग-अलग मामलों में पुलिस विवेचना और न्यायालयीन कार्यवाही।
- **अभियोजन चरण:** आरोपों, साक्ष्यों और गवाहों पर सुनवाई।
- **28 सितंबर 2026:** अपराध क्रमांक 575/2024 में चार आरोपी दोषी करार।
- **28 सितंबर 2026:** अपराध क्रमांक 574/2024 में कुलदीप साहू को 10 वर्ष का कठोर कारावास।



■ **28 सितंबर 2026:** अपराध क्रमांक 218/2024 में आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्ति।

■ **8 अक्टूबर 2026:** दोहरे हत्याकांड में सजा पर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा।
सबसे बड़ा सवाल—8 अक्टूबर को क्या सजा मिलेगी?— अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा प्रश्न सजा को लेकर है,चार आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत के समक्ष अब दंड निर्धारण का चरण है,मामले की गंभीरता,लागू धाराएं,अपराध की परिस्थितियां और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायालय सजा निर्धारित करेगा,इसलिए अभी किसी निश्चित सजा की घोषणा करना उचित नहीं होगा, 8 अक्टूबर को न्यायालय का आदेश ही अंतिम तस्वीर सामने रहेगा।

एक ही दिन न्यायालय के तीन फैसले, लेकिन सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी है, 28 सितंबर 2026 को न्यायालयीन कार्यवाही ने इस पूरे मामले को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है, एक तरफ कुलदीप साहू को अपराध क्रमांक 574/2024 में 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला, दूसरी तरफ अपराध क्रमांक 218/2024 में आरोप साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्ति हुई, और तीसरी तरफ सबसे गंभीर अपराध क्रमांक 575/2024 में चार आरोपी दोषी ठहराए गए,लेकिन सजा का फैसला अभी सुरक्षित है,इसलिए सोमवार का दिन महत्वपूर्ण जरूर रहा,लेकिन इस बहुचर्चित मामले का अंतिम न्यायिक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।

दो साल बाद दोषसिद्धि,अब सजा का इंतजार—13 अक्टूबर 2024 की वह घटना आज भी सूरजपुर के लोगों की स्मृति में ताजा है, एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और पुत्री की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, आरोपी गिरफ्तार हुए,जांच हुई,आरोप-पत्र पेश हुआ और मामला न्यायालय तक पहुंचा,करीब दो वर्ष बाद अब न्यायालय ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी माना है,लेकिन पीड़ित परिवार और आम लोगों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है,क्योंकि न्यायालय ने सजा का फैसला 8 अक्टूबर 2026 तक सुरक्षित रखा है,अब सवाल यह नहीं है कि हत्या के मामले में दोषी कौन ठहराए गए—यह न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, अब सवाल है—दोषी ठहराए गए चारों आरोपियों को 8 अक्टूबर को न्यायालय क्या सजा सुनाता है? यही वह फैसला होगा, जिस पर इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया का अगला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय निर्भर करेगा।



मृत महिला के नाम आवास स्वीकृति, एक ही परिवार को 5 तो कहीं 3 आवास!

बड़सरा में प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची पर गंभीर सवाल विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता और गंभीर बीमार जरूरतमंदों की अनदेखी का आरोप

मृत महिला के नाम आवास, एक परिवार को 5 तो कहीं 3 स्वीकृतियां!

जिसे छत की सबसे ज्यादा जरूरत, वही सूची से बाहर! बड़सरा में आवास चयन पर उठे सवाल

गरीबों की छत पर सवाल : मृत महिला के नाम आवास, एक परिवार को कई-कई स्वीकृतियां

प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित गड़बड़ी, विधवा-दिव्यांगों को छोड़ा, मृत महिला को मिला आवास!

बड़सरा की आवास सूची में बड़ा खेल? मृत महिला के नाम स्वीकृति, एक परिवार को पांच आवास

बड़सरा में प्रधानमंत्री आवास की 26 नामों वाली वरीयता सूची पर सवाल, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता और गंभीर बीमार जरूरतमंदों की अनदेखी का आरोप

सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि प्रताप सिंह ने कलेक्टर से की शिकायत, कलेक्टर ने जांच का दिया आश्वासन

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 28 सितम्बर 2026

(घटती-घटना)।

गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी क्रियान्वयन प्रक्रिया को लेकर ग्राम पंचायत बड़सरा में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, विकासखंड भैयाथान की ग्राम पंचायत बड़सरा में प्रधानमंत्री आवास के लिए जारी 26 हितग्राहियों की वरीयता सूची पर सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि प्रताप सिंह ने कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है, उनका आरोप है कि सूची तैयार करने में पात्रता और प्राथमिकता के निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई है, आरोपों के मुताबिक, करीब पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी महिला के नाम पर भी आवास स्वीकृति दी गई है, वहीं एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास का लाभ दिए जाने की बात भी सामने आई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री

26 नामों की सूची ने खड़े किए कई सवाल

सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत बड़सरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी वरीयता सूची में कुल 26 नाम शामिल किए गए हैं, इसी सूची के परीक्षण के दौरान कथित तौर पर कई ऐसी विमर्शितियां सामने आईं, जिनके आधार पर उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की है, उनके अनुसार, सूची में एक ऐसी महिला का नाम भी शामिल है, जिसकी लगभग पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है, आरोप है कि इसके बावजूद मृत महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया गया, यदि शिकायत में लगाए गए इस आरोप की जांच में पुष्टि होती है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हितग्राही का भौतिक सत्यापन, परिवार की वर्तमान स्थिति और दस्तावेजों का परीक्षण किस स्तर पर किया गया।

एक परिवार को 5, दूसरे को 3 आवास का आरोप

शिकायत में केवल मृत महिला के नाम आवास स्वीकृति का मामला ही नहीं है, रश्मि प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आवास का लाभ दिए जाने की स्थिति सामने आई है, वहीं एक अन्य परिवार में तीन सदस्यों को आवास की स्वीकृति दिए जाने की बात कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल उस मामले को लेकर उठाया गया है, जहां शिकायतकर्ता के अनुसार परिवार के पति को पहले ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है, इसके बावजूद पत्नी के नाम पर भी आवास स्वीकृत कर दिया गया, यह आरोप यदि जांच में सही पाया जाता है तो यह देखना जरूरी होगा कि अलग-अलग हितग्राहियों की पारिवारिक स्थिति का सत्यापन किस आधार पर किया गया और एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग आवास के लिए पात्र कैसे माना गया।

आवास योजना का मूल उद्देश्य ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधा नहीं है, ऐसे में यदि वास्तविक जरूरतमंद परिवार सूची से बाहर रह जाते हैं और एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाभ मिलता है तो पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

दिव्यांग हितग्राहियों की अनदेखी का आरोप- प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक जरूरतमंदों की प्राथमिकता को लेकर भी शिकायत में सवाल उठाए गए हैं, ग्राम पंचायत बड़सरा में दिव्यांगजनों को वरीयता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है, शिकायतकर्ता ने जिला दिव्यांग संघ के अध्यक्ष परमेश्वर यादव पिता बिशुन यादव, उमेश कुंठे पिता जवाहर कुंठे, सुशील कुमार पिता बहल, हरिचंद यादव पिता वंश गोपाल यादव, अमर बाई पिता धर्मजीत और हिना पिता जोगिंदर के नामों का उल्लेख किया है, शिकायत के अनुसार, इन दिव्यांगजनों को अब तक प्रधानमंत्री आवास के लिए चयनित नहीं

किया गया है, वहीं इस वर्ष जारी सूची में दिव्यांग श्रेणी से अंगद विश्वकर्मा पिता रामजीत विश्वकर्मा और संजय कुमार पिता बिरजू को वरीयता सूची में शामिल किया गया है, इस स्थिति को लेकर शिकायतकर्ता का सवाल है कि ग्राम पंचायत में मौजूद अन्य दिव्यांग और जरूरतमंद परिवारों के मामलों का परीक्षण किस आधार पर किया गया और उन्हें सूची में स्थान क्यों नहीं मिला।

विधवा महिलाओं की लंबी सूची, फिर भी आवास से वंचित होने का दावा- ग्राम पंचायत बड़सरा में विधवा महिलाओं को आवास की प्राथमिकता नहीं मिलने का आरोप भी शिकायत का प्रमुख हिस्सा है, शिकायतकर्ता ने बड़ी संख्या में विधवा महिलाओं के नाम प्रशासन के सामने रखे हैं, इनमें फूल कुमारी बेवा पन्ना लाल चक्रधारी, कोशल्या बेवा रामप्रसाद, अनीता प्रजापति बेवा रमेश, धनेश्वरी बेवा सीताराम, रकमनिया बेवा भैयालाल चक्रधारी, राजकुमारी बेवा रामरूप, रजमनिया बेवा मुकुंद, मईया बेवा शिवचरण, मुनी बाई बेवा हिरसाय, सोनमती



सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि प्रताप सिंह

बेवा संजय साहू, संतोषी बेवा शोभन सिंह, सुखमनिया बेवा रामसिंह और सरोज बेवा रामदुलारे यादव के नाम शामिल हैं, इसके अलावा बच्चों बाई बेवा रामचरण कुशाल, शिवचरण बेवा रामनारायण, जगमन बाई बेवा उदराज, ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रेम बाई बेवा धनी सिंह, बसंती यादव बेवा रामचरण, बिंदु बेवा धवर साय, इंदु गोस्वामी बेवा रामसुभग, फूलमती यादव बेवा रामदास, सुनीता बेवा राम सुंदर सिंह, उषा सिंह बेवा सुरेंद्र प्रताप सिंह और रजवंती बेवा मनोहर यादव सहित अन्य महिलाओं का भी शिकायत में उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता ने देवकुमारी बेवा जीवन लाल, सीमा पाण्डेय बेवा तारकेश्वर, बिरहुल बेवा बहल, हीरोदिया बाई बेवा बाल साय चंद, भगमत बेवा राम साय, हुलासो बेवा रामसाय, बुधनी बेवा गोविंद, सोनमती बेवा जगननाथ, सुमरिया बेवा चंद्रिका और इंद्रसो बेवा सुरदास के नाम भी बताए हैं, वहीं शिकायत में कहा गया है कि कैलाशवती बेवा भागीरथी को आवास प्रदान किया गया है, ऐसे में सवाल उठता है कि जब पंचायत में बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं आवास की जरूरत में हैं तो वरीयता सूची तैयार करते समय अन्य विधवा महिलाओं को किस आधार पर पीछे रखा गया।

परित्यक्ता महिलाओं के मामले में भी सवाल- शिकायत में परित्यक्ता महिलाओं को भी प्रधानमंत्री आवास की सूची में स्थान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है, सामाजिक

कार्यकर्ता ने दुर्गावती कुंठे पिता तिवारी और कलेसिया पिता रामा अगरिया का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों को भी वरीयता सूची में स्थान नहीं मिला, ऐसे में सवाल यह है कि पंचायत स्तर पर आवास की पात्रता और प्राथमिकता निर्धारित करते समय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन किस प्रकार किया गया।

गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी नहीं मिली प्राथमिकता- शिकायत में गंभीर रूप से बीमार बताए गए लोगों का मामला भी उठता गया है, रश्मि प्रताप सिंह के अनुसार मकसूदन यादव पिता स्व. रामदास, रामकेश्वर साहू पिता रामजतन और अमलेश्वर पिता रूपचंद को भी प्रधानमंत्री आवास की वरीयता सूची में स्थान नहीं दिया गया, शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि वास्तव में ये परिवार गंभीर आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनके मामलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पात्रता के बावजूद उन्हें सूची में स्थान क्यों नहीं मिला।

सवाल सिर्फ सूची का नहीं, चयन प्रक्रिया का है- बड़सरा की इस शिकायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया है, मामला केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि किसका नाम सूची में है और किसका नहीं, बड़ा सवाल यह है कि हितग्राहियों की पात्रता का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है और फिर भी उसके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है तो सत्यापन प्रक्रिया की जांच जरूरी है, इसी तरह यदि एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास स्वीकृत किया गया है तो उनके अलग-अलग परिवार होने अथवा योजना की पात्रता पूरी करने से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी आवश्यक होगी, इसके साथ ही पंचायत में मौजूद दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर रूप से बीमार बताए गए लोगों की पात्रता तथा उनके आवासीय स्थिति का भी भौतिक सत्यापन किए जाने की मांग उठ रही है।

कलेक्टर के सामने पहुंचा मामला- मामला ग्राम पंचायत स्तर से निकलकर अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है, शिकायतकर्ता रश्मि प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत बस्कर के डालाबहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रेना

जमील के समक्ष इस मामले को रखा, शिकायतकर्ता के अनुसार, कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है, अब प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी वास्तविकता है और वरीयता सूची तैयार करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।

जांच में इन बिंदुओं पर स्पष्टता जरूरी- बड़सरा मामले में, यदि प्रशासन निष्पक्ष जांच करता है तो कई बिंदुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी मृत महिला के नाम आवास स्वीकृति का आरोप सही है या नहीं, संबंधित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कब और किसके द्वारा किया गया, एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास मिलने की स्थिति में उनके अलग-अलग पात्र परिवार होने का आधार क्या है, जिन परिवारों को पूर्व में आवास मिल चुका है, उनके अन्य सदस्यों को दोबारा लाभ दिए जाने का आधार क्या है, विधवा महिलाओं की पात्रता और उनकी आवासीय स्थिति का सर्वे किस आधार पर हुआ, दिव्यांग हितग्राहियों के नाम वरीयता सूची में शामिल नहीं किए जाने का कारण क्या है, परित्यक्ता महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार बताए गए लोगों की पात्रता का परीक्षण किया गया या नहीं, 26 हितग्राहियों की सूची तैयार करने के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर कौन-कौन से दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई।

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर- प्रधानमंत्री आवास योजना सीधे गरीब परिवारों के जीवन से जुड़ी योजना है, इसलिए पात्रता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जांच की है, यदि आरोप गलत हैं तो जांच से स्थिति स्पष्ट होगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है, फिलहाल बड़सरा की 26 हितग्राहियों वाली सूची को लेकर उठे सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए मामले में जांच के निष्कर्ष और संबंधित पंचायत/विभाग का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर का सूरजपुर प्रवास, नवनि्युक्त ब्लॉक अध्यक्षों के साथ की बैठक...

संगठन विस्तार और असंगठित कामगारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर हुई चर्चा

-संवाददाता-

सूरजपुर, 28 सितम्बर 2026

(घटती-घटना)।

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर सूरजपुर प्रवास पर पहुंचे, इस दौरान स्थानीय रेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा की अध्यक्षता में संगठन के नवनि्युक्त ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, संगठन के आधिकारिक स्वरूप और कामगारों से जुड़े मुद्दों पर गतिविधियों के विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा की गई,

उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों में भी अभिषेक बोरकर को छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है, बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, अधिक से अधिक असंगठित कामगारों एवं कर्मचारियों को संगठन से जोड़ने तथा श्रमिकों से जुड़े स्थानीय मुद्दों को सामने लाने पर जोर दिया गया।

कामगारों से नियमित संपर्क के निर्देश- प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर ने नवनि्युक्त ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में असंगठित कामगारों, मजदूरों



एवं कर्मचारियों से नियमित जनसंपर्क स्थापित करें, उनके अनुसार, कामगारों की वास्तविक समस्याओं की जानकारी क्षेत्र में लगातार संपर्क के माध्यम से ही सामने आ सकती है, उन्होंने

पदाधिकारियों से कहा कि कामगारों की समस्याओं को संबंधित विभागों एवं प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए और उनके निराकरण के लिए संगठन स्तर पर लगातार प्रयास किया जाए।

जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार पर जोर- बैठक के दौरान संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई, नवनि्युक्त ब्लॉक अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों को सक्रिय करने तथा अधिक से अधिक कामगारों और कर्मचारियों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया गया, बोरकर ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और कामगारों की समस्याओं को सामने लाना तथा उनके अधिकारों एवं हितों से जुड़े विषयों को संबंधित मंच तक पहुंचाना संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सक्रियता के

साथ क्षेत्र में काम करने की बात कही, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की गतिविधियों में संगठन विस्तार और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को उठाने पर पहले भी जोर दिया जाता रहा है। नवनि्युक्त पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं- प्रदेश अध्यक्ष ने नवनि्युक्त ब्लॉक अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं, उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है और जमीनी स्तर पर कामगारों के बीच संगठन की मौजूदगी मजबूत करना आवश्यक है।

वर्षों से सामूहिक सहभागिता से होने वाले रावण दहन आयोजन को सीमित दायरे में करने की चर्चा से नाराजगी, नगरवासियों ने व्यापक बैठक बुलाने की मांग की



—संवाददाता—
सूरजपुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में वर्षों से सामाजिक सहभागिता, आपसी सहयोग और सामूहिक भागीदारी के साथ आयोजित होता आ रहा दशहरा पर्व इस बार आयोजन समिति को लेकर चर्चा में आ गया है, महज चार लोगों की समिति बनाकर दशहरा आयोजन की जिम्मेदारी सौंप जाने की चर्चा के बाद नगर में सवाल उठने लगे हैं, नागरिकों का कहना है कि दशहरा किसी एक व्यक्ति, समूह या समिति का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे नगर का सामूहिक पर्व है, ऐसे में वर्षों से चली आ रही परंपरा में इस बार सीमित भागीदारी क्यों रखी जा रही है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सामूहिक आयोजन को सीमित करने पर सवाल— नगर में प्रत्येक वर्ष दशहरा पर्व के अवसर पर दशहरा आयोजन समिति के माध्यम से रावण दहन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, इस आयोजन में शहर के अलग-अलग समाजों के लोग, समाजसेवी, नागरिक और जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, यही व्यापक सहभागिता इस आयोजन को नगर के सामाजिक मेल-जोल और आपसी भाईचारे का प्रतीक बनाती रही है, लेकिन इस बार चार लोगों की समिति के माध्यम से आयोजन की जिम्मेदारी तय किए

जाने की चर्चा सामने आने के बाद कई नागरिकों में नाराजगी बताई जा रही है, लोगों का सवाल है कि जब दशहरा वर्षों से पूरे नगर की सहभागिता से आयोजित होता आया है, तो इस बार आयोजन को सीमित दायरे में रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई?

किस आधार पर बनी समिति?— नगर में सबसे बड़ा सवाल समिति के गठन की प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है, लोगों के बीच चर्चा है कि समिति बनाने से पहले क्या वर्षों से आयोजन में सक्रिय रहे समाजसेवियों, विभिन्न समाजों और प्रमुख नागरिकों से राय ली गई? यदि व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं हुई, तो फिर समिति के गठन का आधार क्या रहा? नागरिकों का कहना है कि आयोजन से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता होनी चाहिए, दशहरा जैसे सार्वजनिक और सामाजिक आयोजन में किसी भी वर्ग को अलग-थलग रखने के बजाय सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा कायम रहनी चाहिए।

वर्षों की परंपरा पर असर का डर— दशहरा केवल रावण दहन तक सीमित कार्यक्रम नहीं है, यह नगर की सामाजिक एकजुटता और सामूहिक सहभागिता से जुड़ा आयोजन रहा है, अलग-अलग समाजों और वर्गों के लोग इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में यदि आयोजन की जिम्मेदारी सीमित लोगों तक सिमटती है तो इससे वर्षों से चली आ रही सामूहिक परंपरा

प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लोगों का कहना है कि दशहरा पूरे नगर का पर्व है, इसलिए आयोजन भी पूरे नगर की सहभागिता से होना चाहिए।

व्यापक बैठक बुलाने की मांग— नगरवासियों ने मांग की है कि दशहरा आयोजन को लेकर जल्द से जल्द व्यापक बैठक बुलाई जाए, इसमें नगर के सभी प्रमुख समाजों, सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों, नागरिकों और आयोजन से लंबे समय से जुड़े लोगों को शामिल किया जाए, लोगों का कहना है कि यदि समिति का गठन व्यापक सहमति से किया जाता है तो आयोजन को लेकर उठ रहे सवाल और नाराजगी दोनों दूर हो सकते हैं, साथ ही वर्षों से चली आ रही दशहरा की सामूहिक परंपरा भी कायम रहेगी।

अब सवाल समिति से ज्यादा प्रक्रिया पर— दशहरा आयोजन को लेकर उठ रहा विवाद केवल चार सदस्यों की संख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यापक सहभागिता से जुड़ा सवाल बन गया है, नगरवासियों की मांग है कि आयोजन को किसी सीमित समूह तक रखने के बजाय सभी वर्गों को साथ लेकर निर्णय लिया जाए, ताकि रावण दहन का पर्व विवाद का विषय न बनकर फिर से पूरे शहर के साझा उत्सव के रूप में सामने आए।

विधिक सेवा प्राधिकरण की तत्परता से मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला का उपचार शुरू

उत्कलछार रेलवे फाटक के पास मिली महिला को रेस्क्यू कर सिटी अस्पताल में कराया, भर्ती, मेडिकल रिपोर्ट के बाद सेंदरी मानसिक चिकित्सालय भेजने की तैयारी

—संवाददाता—
बैकुंठपुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर, जिला कोरिया की तत्परता और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को समय पर उपचार उपलब्ध कराया गया, महिला को मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्कलछार रेलवे फाटक के पास अस्वस्थ अवस्था में पाए जाने के बाद रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मामले में तत्काल पहल की गई, महिला की स्थिति को देखते हुए अधिकार मित्र अंजनी यादव, थाना इगड़खड़ा की सूचना दी गई, महिला को विधिक सहायता एवं आवश्यक सव्योग उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय शुरू किया गया, इसके बाद अधिकार मित्र अजय विश्वकर्मा, थाना मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से 112 सेवा को सहायता से महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर, चैनपुर लाया गया, यहां महिला की स्थिति को देखते



हुए आगे के उपचार और संरक्षण को लेकर केंद्र की प्रशासक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क किया गया।

सखी सेंटर से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था— महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखने के बाद उसके उपचार की आवश्यकता संबंधी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को दी गई, सचिव के निर्देशन में महिला को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, इसके बाद 108 एंबुलेंस के माध्यम से महिला को 220 बिस्तरों वाली सिटी अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ में भर्ती कराया गया, महिला को अस्पताल तक पहुंचाने और भर्ती कराने की प्रक्रिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर पूजा रक्क और औपचारिक सुविधा की सहायता प्राप्त हुआ।

अस्पताल में उपचार जारी— सिटी अस्पताल मनेन्द्रगढ़ में महिला का उपचार वर्तमान में जारी है, उसके मेडिकल परीक्षण और रिपोर्ट की प्रक्रिया भी चली रही है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट आने तथा आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिला को मानसिक चिकित्सालय सेंदरी भेजे जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस पूरे मामले में पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिकार मित्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय से महिला को सुरक्षित स्थान से चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाया गया।

सामूहिक प्रयास से मिली महिला को मदद— मानसिक रूप से अस्वस्थ और अज्ञात अवस्था में सार्वजनिक स्थान पर मिली महिला के लिए समय पर हस्तक्षेप कर उसे उपचार उपलब्ध कराना इस मामले का महत्वपूर्ण पक्ष रहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विभिन्न स्तरों से मिले सहयोग के कारण महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जा सका। फिलहाल उसका उपचार जारी है और आगे की प्रक्रिया मेडिकल रिपोर्ट एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर तय की जाएगी।

गोंगपा महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने सीएम विष्णुदेव साय से की सौजन्य मुलाकात, क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर सौपा मांगपत्र

भरतपुर-सोनहत और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, बिजली सहित 14 विकास कार्यों की मांग, सरकार से स्वीकृति की उम्मीद जताई

—संवाददाता—
एमसीबी, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

गोंगवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम सिंह मरकाम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात कर भरतपुर-सोनहत और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र की विभिन्न विकास आवश्यकताओं को लेकर मांगपत्र सौपा, मांगपत्र में ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, बिजली और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रमुख कार्यों को शामिल किया गया है। मरकाम द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में कछौड़ से देवरा तक लगभग 10 किलोमीटर पीएमजीएसवाई पक्की सड़क निर्माण शामिल है, मांगपत्र के अनुसार यह क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा देवरा में 7.2 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की मांग रखी गई है, इसके लिए क्रेड द्वारा पीडीएन कार्य सहित लगभग 36 लाख 33 हजार 893 रुपये का प्राक्कलन तैयार किए जाने की बात कही गई है।

सिंचाई और सड़क को लेकर भी मांग— मरकाम ने तराबहरा (गरीटोला) स्थित केवई



डायवर्सन बांध से सोकोबहरा तक लगभग 10 किलोमीटर नहर की मरम्मत एवं सीसी पिचिंग कार्य की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, इसके अलावा मंडा-भलुवार-राजपुरी सड़क को पक्का करने की मांग शामिल है, मांगपत्र में इन कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र की आवागमन और सिंचाई व्यवस्था से जोड़कर प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है, इसके साथ ही भरतपुर और सोनहत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छोटे लेकिन स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की मांग रखी गई है, इनमें अकला सरई के नकापारा में शिवलाल के घर के पास पुलिया निर्माण के लिए 10 लाख रुपये, नकापारा से होरालाल के घर तक 250 मीटर सीसी सड़क के लिए 10 लाख रुपये तथा

पुसला में पटेलपारा से रामू के घर से बालम के घर तक 200 मीटर सीसी सड़क के लिए 10 लाख रुपये की मांग शामिल है, पुसला में रामू के घर से छात्रावास पहुंच मार्ग तक आरसीसी पुलिया, खटौली में प्राथमिक शाला से पंचायत भवन तक सीसी सड़क, इंदरपाल से गुलाब के घर तक सीसी सड़क और प्राथमिक शाला की बाउंड्रीवाल सहित कई कार्यों का प्रस्ताव भी दिया गया है, खटौली में बिछिया बांध नाला के पास पुलिया, भेलवाहुआ से गरुडिन के घर तक सीसी सड़क तथा मोहतटोला में अटल चौक से पंचायत भवन तक सीसी सड़क निर्माण की मांग भी शामिल है।

रोजगार और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा— मुलाकात के दौरान क्षेत्र से जुड़े अन्य जनहित के मुद्दों और रोजगार संबंधी विषयों पर भी चर्चा किए जाने की बात कही गई है, मरकाम ने कहा कि वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, बिजली तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगपत्र में शामिल कार्यों पर शासन स्तर से विचार कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, इन प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति संबंधित विभागों की प्रक्रिया, तकनीकी परीक्षण, बजट उपलब्धता और शासन के निर्णय पर निर्भर करेगी।

गौशाला में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आई महिला की मौत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के हसुली खालपारा में स्थित गौशाला में काम करने के दौरान बिजली करंट लगने से 59 वर्षीय महिला की मौत के घर ही मौत हो गई। होलीक्रॉस अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित का दिया। पुलिस ने मामले में मामले में फिलहाल मर्ग कायम किया है।



जानकारी के मुताबिक, मृतका मनसुनिया पति दामोदर सिंह, सोमवार की सुबह गौशाला में कुछ काम कर रही थीं, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद उसका छोटा पुत्र

अमन कुमार कर्मरे से बाहर गौशाला तर्फ गया तो देखा मां गिरी पड़ी थी। उसके उंगली में करंट लगने से जलने का निशान था। घटना की सूचना प्राथमिक शाला सोझोपारा पडौली में शिक्षक के पद पर पदस्थ महिला के पुत्र सादेश कुमार पैकार को सुबह करीब 08 बजे चचेरे भाई तारा सिंह पैकार से फोन पर मिली, तो वह पुत्रने घर से गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा। घटने उन्हें होलीक्रॉस अस्पताल

कोरिया में उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान की महापरीक्षा, 201 शिक्षार्थियों ने उत्साह से दी परीक्षा

बैकुंठपुर और सोनहत विकासखंड में बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र, तिलक और पुष्पगुच्छ से हुआ शिक्षार्थियों का स्वागत

राजन पाण्डेय
कोरिया, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 'सबके लिए शिक्षा' के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में कोरिया जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षार्थी आंकलन महापरीक्षा का आयोजन किया गया, बैकुंठपुर एवं सोनहत विकासखंड में आयोजित परीक्षा में लक्षित सभी 201 शिक्षार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, इस तरह जिले में परीक्षा के दौरान 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोरिया रोहितमा यादव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उपाध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में दोनों विकासखंडों में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, परीक्षा के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की गई थीं, जिससे महापरीक्षा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

परीक्षा को बनाया उत्सव, शिक्षार्थियों में दिखा उत्साह— महापरीक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखने को मिला, शिक्षार्थियों को परीक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए पंचायत स्तर पर दीवार लेखन, पीला चावल और निमंत्रण कार्ड के माध्यम से उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, 10वीं एवं 12वीं कक्षा के स्वयंसेवी शिक्षकों ने भी शिक्षार्थियों को परीक्षा के महत्व की जानकारी दी और



उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। केंद्रों पर पहुंचने वाले शिक्षार्थियों का कई स्थानों पर तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया, इससे परीक्षा का वातावरण औपचारिक होने के बजाय उत्साह, सम्मान और आत्मीयता से भरा नजर आया।

शिक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने में मिला सहयोग— महापरीक्षा में शिक्षार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने में स्वयंसेवी शिक्षकों के साथ स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन समूह के सदस्यों ने भी सहयोग किया, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से औपचारिक शिक्षा से दूर रहे वयस्क शिक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक

सिर्फ पहुंचाने का आंकलन— उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की महापरीक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षार्थियों की पढ़ने-लिखने की क्षमता का परीक्षण करना नहीं है, इसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल से संबंधित व्यावहारिक समझ का भी आंकलन किया जाता है, इसका उद्देश्य ऐसे वयस्कों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। कोरिया में लक्षित सभी 201 शिक्षार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अभियान के प्रति शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

साक्षर समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयास— उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से जिले में वयस्कों को साक्षर बनाने के साथ उन्हें दैनिक जीवन में शिक्षा के व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, महापरीक्षा इसी अभियान का महत्वपूर्ण चरण रही। परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थियों का उत्साह और विभिन्न सहयोगी समूहों की भागीदारी इस बात को रेखांकित करती है कि साक्षरता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कोरिया जिले में 24 केंद्रों पर 201 शिक्षार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संपन्न महापरीक्षा ने जिले में वयस्क साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।

संदीप तिवारी ने उठाई कर्मचारी हित की मांगें... ईसीसीएस की 97वीं वार्षिक आमसभा में कम ब्याज पर कार-शिक्षा ऋण, महानगरों व धार्मिक स्थलों में हॉलिडे होम सहित कई सुविधाओं की मांग

—संवाददाता—
सूरजपुर, 28 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व मध्य एवं पूर्व तट रेलवे कर्मचारी सहकारी साख समिति लिमिटेड (ईसीसीएस) की 97वीं वार्षिक आमसभा कोलकाता के संतरगाछी स्थित फॉर्च्यून पार्क पंचवटी में आयोजित हुई, आमसभा में सूरजपुर से अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के जेनरल अध्यक्ष एवं वाणिज्य/एसएंडटी विभाग के डेलीगेट संदीप तिवारी ने हिस्सा लिया और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में कर्मचारी हित, ऋण सुविधाओं, हॉलिडे होम तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।

संदीप तिवारी ने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम ब्याज दर पर कार लोन एवं शिक्षा लोन शुरू करने की मांग रखी।

गंभीर बीमार कर्मचारियों के लिए हॉलिडे होम की मांग...

संदीप तिवारी ने गंभीर बीमारियों से झुकाव कर रहे कर्मचारियों की सुविधा का मुद्दा भी आमसभा में उठाया, उन्होंने मुंबई जैसे महानगरों में उपचार के लिए जाने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां तत्काल हॉलिडे होम शुरू करने की मांग रखी, उनका कहना था कि गंभीर बीमारी के उपचार के लिए कर्मचारियों को महानगरों का रुख करना पड़ता है, ऐसे समय में रहने की सुविधा उपलब्ध होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सकती है।



उज्जैन और अजमेर शरीफ में हॉलिडे होम की मांग— कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की धार्मिक यात्राओं और ध्यान में रखते हुए तिवारी ने उज्जैन और अजमेर शरीफ में भी नए हॉलिडे होम शुरू करने की मांग रखी, इसके साथ ही उन्होंने सीएमटीडी पर अधिक ब्याज देने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी रखी, उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमानुसार सभी हॉलिडे होम में टहरने की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समिति की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

ऑनलाइन सदस्यता और ऋण सुविधा को मंजूरी— आमसभा में कर्मचारियों से जुड़ी कई सुविधाओं और प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया, इसमें कर्मचारियों के लिए विशेष ऋण शुरू करने, नवीनीकरण ऋण की सीमा बढ़ाने, ऑनलाइन सदस्यता तथा ऑनलाइन ऋण सुविधा शुरू करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, डिजिटल माध्यम से सदस्यता

और ऋण सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को समिति से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है।

मृत्यु सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार

आमसभा में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, बैठक में सहायता राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया, यह निर्णय कर्मचारी परिवारों को आर्थिक सहायता परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में सामने आया।

कर्मचारी हित के मुद्दे आगे भी उठाने की बात-

आमसभा में कर्मचारी हित से जुड़े विभिन्न विषयों को उठाने के बाद संदीप तिवारी ने कहा कि सहकारी साख समिति की योजनाओं और सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं से जुड़े मुद्दों को भविष्य में भी संबंधित मंचों पर प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा, उन्होंने कर्मचारियों के लिए ऋण सुविधाओं में सुधार, आवासीय एवं यात्रा संबंधी सुविधाओं के विस्तार तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ दिलाने से जुड़े विषयों को आगे भी उठाने की बात कही।



छत्तीसगढ़ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, रायपुर में निकाला पैदल मार्च, पीएम और ज्ञानेश कुमार का फूँका पुतला

रायपुर, 28 सितम्बर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करने निकले। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। बाहर पुलिस के साथ उनकी खींचतान होती रही। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दुर्ग में काले कपड़े पहनकर निकली रैली में तीनों जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन के बाद ज्ञानेश लौटकर कांग्रेसी लौट गए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। रायगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया। कलेक्ट्रेट से कुछ दूर पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञान सौंपकर ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की। रायपुर में इससे पहले राजीव भवन में सुखदेव भगत की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें नगरीय निकाय चुनाव, जल-जलज-जमीन, स्मार्ट मीटर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई।

रायपुर में एसयूसीआई का भी प्रदर्शन
रायपुर के आजाद चौक में सोमवार को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की राज्य संगठन समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य



छत्तीसगढ़ के 25 लाख नाम जोड़ने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि एसआईआर के जरिए देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हटाए गए करीब 25 लाख नामों को फिर से मतदाता सूची में जोड़ने की मांग की। साथ ही शासन-प्रशासन से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप काम करने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वाधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

महाराष्ट्र में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी

महाराष्ट्र में ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमिटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर पहुंचे, केंद्र सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और झूमाझटकी भी हुई।

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी, एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया तत्काल रोकने और मतदाता सूची से हटाए गए नामों को बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञान सौंपा गया। दुर्ग में पूर्व सीएम

भूपेश बघेल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
दुर्ग में ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर पहुंचा कार्यकर्ता : दुर्ग में मुख्य



चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर और हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचा शाख, खुद को बताया प्रधानमंत्री का गुलाम। दुर्ग कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग पर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच खींचतान जारी, घेराव के लिए

आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें रोक रही है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है।

दुर्ग में कांग्रेसियों ने पुतला फूँका

पटेल चौक पर कांग्रेसियों ने फूँका पुतला, वोट चोरी के आरोप और इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर पुतला फूँककर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की।

सुखदेव भगत बोले...स्मार्ट मीटर और वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा...

कनेक्ट सेंटर की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि बैठक में जनसमस्याओं और संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर बटु का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनने की बात कही। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर भी आंदोलन जारी रखने की बात कही और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुत गांधी के नेतृत्व में एकजुट रहना है, अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अपने पहले दौर को लेकर कहा कि संगठन की स्थिति की रिपोर्ट मिली है और जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बदलने पर विचार किया जाएगा। दुर्ग में कांग्रेस के प्रदर्शनों को देखते हुए भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

रायगढ़ में बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता

रायगढ़ में कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पहुंच गए हैं। कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

हाईकोर्ट बोला : मोटा-काला कहने से नहीं टूटता 7 फेरों का रिश्ता

पति-पत्नी में नोकझोंक से संबंध खत्म नहीं किए जा सकते, पति की तलाक अर्जी नामंजूर

बिलासपुर, 28 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपुत ने कहा कि, पति-पत्नी के बीच सामान्य घरेलू विवाद, तीखी नोकझोंक या रंग-रूप को लेकर की गई टिप्पणियां हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती हैं। विवाह जैसे पवित्र बंधन को खत्म करने के लिए आरोपों का केवल लगाया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें कानून सम्मत और पुख्ता सबूतों से साबित करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि 'मोटा-काला कहने से 7 फेरों का रिश्ता नहीं टूट जाता। पति-पत्नी में नोकझोंक से संबंध खत्म नहीं किए जा सकते।' डिवाीजन बेंच ने पति की तलाक अर्जी को नामंजूर कर दिया है। साथ ही जांजगीर-चांपा फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दी है। दरअसल, जांजगीर-चांपा निवासी दंपती का विवाह 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों में मतभेद शुरू हो गए। पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की अर्जी दी। पति का आरोप था कि, पत्नी उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी, बिना अनुमति के बाहर जाती थी और वैवाहिक जिम्मेदारी निभाने की जगह अलग रहने लगी थी।

पति का आरोप- काला कहकर ताने मारती थी पत्नी : पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी उसे उसके सांवले रंग या शारीरिक बनावट को लेकर ताने देती थी। वहीं, पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पति उपेक्षा करते थे।



पत्नी बोली- इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गया अस्पताल : पत्नी ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे उचित चिकित्सायोज देखभाल और सहयोग नहीं मिला। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसकी मां इलाज के लिए रायगढ़ ले गई थी। इसके बाद पति या उसके परिजनों ने उसे वापस लाने के लिए प्रयास नहीं किया। पत्नी ने अधिनियम की धारा 27 के तहत अपना स्त्रीधन वापस दिलाने की भी मांग की थी।
फैमिली कोर्ट पति की अर्जी खारिज की, स्त्रीधन लौटाने के आदेश : जांजगीर के फैमिली कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को दिए फैसले में पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, जबकि पत्नी के स्त्रीधन वापसी के आवेदन को स्वीकार करते हुए एक महीने के भीतर लौटाने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर अमल, कुनकुरी में 1.01 करोड़ रुपये के दो विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

रायपुर, 28 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपये की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सूर्य नमस्कार चौक और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। दोनों कार्यों की स्वीकृति मिलने से कुनकुरी में अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम कलिबा में नवनिर्मित कलिबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान इन दोनों विकास कार्यों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब दोनों कार्यों को अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ ही इनके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।



76.81 लाख रुपये से विकसित होगा सूर्य नमस्कार चौक

कुनकुरी के वार्ड क्रमांक 06 में हनुमान टेकड़ी के पास सूर्य नमस्कार चौक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 76.81 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। चौक के विकसित होने से नगर को एक आकर्षक और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थल मिलेगा। यह नगर की पहचान को नया स्वरूप देने के साथ नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित होगा।

24.83 लाख रुपये से बनेगा सामुदायिक भवन

वार्ड क्रमांक 06 में हनुमान टेकड़ी के पास ही सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 24.83 लाख रुपये की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। सामुदायिक भवन बनने से स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप दोनों विकास कार्यों को स्वीकृति मिलने पर कुनकुरी नगरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।

छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

95 हजार वेतन प्रस्तावित, बॉन्ड की रकम और अवधि घटाने पर सहमति, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन

रायपुर, 28 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की 4 दिन से चल रही हड़ताल सोमवार दोपहर खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। बैठक में मंत्री ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। मुलाकात के दौरान जूनियर डॉक्टर ने पीजी बॉन्ड की राशि 50 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये करने और अनिवार्य सेवा की अवधि दो साल से घटाकर एक साल करने की मांग की है।

पीजी थर्ड ईयर से ज्यादा होगा वेतन, 95 हजार का प्रस्ताव : एसोसिएशन के मुताबिक, अनुबंधित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर और सैनियर रजिस्टर्ड का वेतन पीजी थर्ड ईयर के वेतन से अधिक रखने का प्रस्ताव है। इसके लिए 95 हजार रुपये वेतन प्रस्तावित किया गया है।

बॉन्ड तोड़ने की रकम भी होगी कम

अनुबंधित सेवा का बॉन्ड तोड़ने पर अभी स्नातक के लिए 25 लाख और पीजी के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित थी। बैठक में इसे घटाकर स्नातक के लिए 10 लाख और पीजी के लिए 20 लाख रुपये करने पर सहमति बनी है।



1 अक्टूबर से बढ़ेगा स्ट्राइड

सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी फस्ट सेमेस्टर का स्ट्राइड 67,500 से बढ़कर 85,050 रुपये, द्वितीय वर्ष का 71,450 से बढ़कर 90,027 रुपये और तृतीय वर्ष का 74,600 से बढ़कर 93,996 रुपये प्रतिमाह होगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एमबीबीएस इंटेन को भी 1 अक्टूबर से 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्ट्राइड मिलेगा।

उच्च शिक्षा के लिए बंधक राशि खत्म होगी

मेडिकल की उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अभी स्नातक छात्रों के लिए 25 लाख और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए 50 लाख रुपये की बंधक राशि की व्यवस्था थी। एसोसिएशन के अनुसार, भविष्य में यह राशि जरूरी नहीं होगी। एनओसी केवल हलफनामा या शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।

नियमित पद भरने पर यूजी का बॉन्ड खत्म करने का आश्वासन : एसोसिएशन ने अनुबंधित सेवा की अवधि कम करने की मांग भी रखी। अभी स्नातक और पीजी दोनों के लिए

दो-दो साल की सेवा अवधि है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमित चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने के बाद स्नातक डॉक्टरों का बॉन्ड पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हाईकोर्ट को प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करने के निर्देश, पहले खारिज हुआ था आवेदन



रायपुर, 28 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट इस आपति को फाइनल स्ट्रेज की जगह प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई कर निराकरण करे। अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में शुरुआती स्तर पर सुनवाई होगी। इससे पहले छग हाईकोर्ट ने भूपेश के आवेदन को खारिज कर दिया था। भूपेश बघेल के वकील हर्ष वर्धन परधनिया ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आपति को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट अब इस मुद्दे को प्रारंभिक स्तर पर

सुनेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपति लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इस आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।